# वाणिज्य-कर विभाग, बिहार

# ई–वे बिल

GST कोषांग, वाणिज्य–कर विभाग

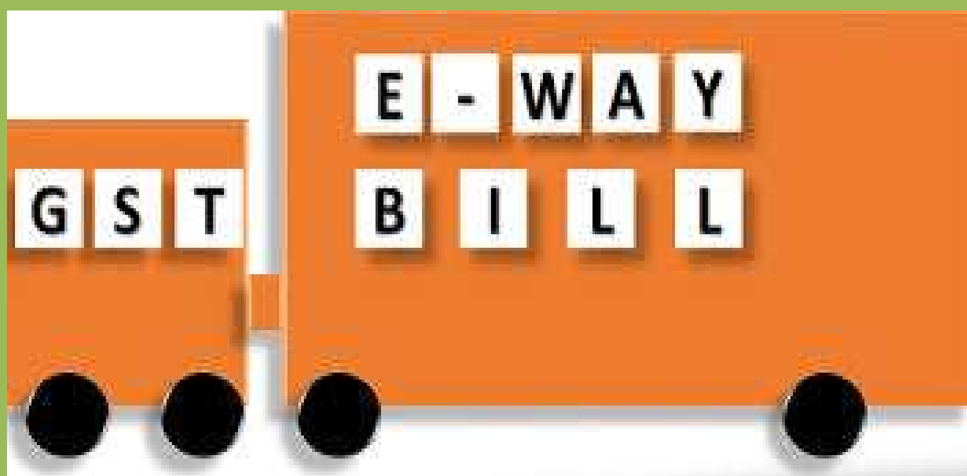


2018

# ई–वे बिल

## ई–वे बिल क्या है ?

- ई–वे बिल मालों के परिवहन के लिए बनाया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक रोड परमिट है। इसे CGST Rules के नियम 138 के प्रावधानों के अनुरूप e-waybill के पोर्टल **https://ewaybillgst.gov.in** पर बनाया जा सकेगा (EWB-01)। यह सुविधा SMS और मोबाईल ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध होगी।
- **अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु ई–बे बिल दिनांक 01.04.2018 से लागू होना प्रस्तावित है।**
- इसमें मालों के बाधारहित परिवहन हेतु पूरे देश के लिए One E-Way Bill की व्यवस्था है। यह पूरे देश में वैध होगी।

## ई–वे बिल किन परिस्थितियों में बनाना होगा ?

- 50,000 रू0 से अधिक मूल्य के करदेय मालों (consignment) के परिवहन के लिए ई–वे बिल अनिवार्य है।
- **Consignment Value** वह मूल्य होगा जो बीजक/Bill of Supply /डिलीवरी चालान में घोषित किया गया है तथा इसके अन्तर्गत IGST, CGST, SGST तथा Cess सम्मिलित होगा परन्तु Exempted Goods का मूल्य इसमें नहीं जोड़ा जाएगा।
- सड़क मार्ग से परिवहन के मामले में परिवहन **प्रारम्भ होने के पूर्व** E-Waybill बनाना अनिवार्य है।
- रेलवे, हवाई जहाज तथा जलमार्ग के द्वारा माल के परिवहन की स्थिति में Consignee या Consignor के द्वारा ई–वे बिल का सृजन माल के परिवहन **आरंभ होने के बाद** भी किया जा सकेगा। परन्तु रेलवे द्वारा प्राप्तकर्त्ता को सामान/माल का Delivery करने के समय ई–वे बिल अनिवार्य रूप से मॉगा जाएगा।
- **सार्वजनिक सवारी गाड़ी** (यथा बस आदि) के माध्यम से माल के परिवहन के क्रम में ई–वे बिल सृजित करने की जिम्मेदारी Consignor या Consignee की होगी।
- 50,000 रू0 से कम मूल्य के करदेय मालों के परिवहन के मामले में भीई–वे बिल बनाया जा सकता है।
- एक वाहन से, एक से अधिक consignment के परिवहन के क्रम में, परिवहनकर्त्ता द्वारा सभी ई–वे बिल को मिलाकर एक consolidated E-Way Bill (EWB-02) बनाया जा सकता है।

## ई–वे बिल बनाने के लिए उपलब्ध विभिन्न माध्यम

- ई–वे बिल निम्नांकित माध्यमों से बनाये जा सकते हैः–

1. **E-Way Bill का Common Portal** – निबंधित व्यक्ति द्वारा रजिस्टर एवं अनिबंधित व्यक्ति द्वारा Enroll करने के उपरान्त।

2. **iOS/Android App**-मोबाइल हैंडसेट के IMEI संख्या को E-Way Bill के पोर्टल पर रजिस्टर करके (अधिकतम दो IMEI संख्या)।
3. **SMS-** मोबाइल संख्या को E-Way Bill Portal पर रजिस्टर करके।
4. **API-Online Invoice Generating system** का उपयोग करने वाले बड़ी कंपनियों के मामले में, उनके system का ई–वे बिल पोर्टल से Integrate करके।
5. **GST Suvidha Provider** द्वारा third party loginद्वारा

**ई–वे बिल निर्गत करने की प्रक्रिया**

- **जी.एस.टी0. के अन्तर्गत निबंधित व्यक्तियों/परिवहनकर्त्ता**–Supplier, Recipient अथवा Transporter में से कोई भी एक ई–वे बिल बना सकता है। इसके लिए उन्हें E-Way Bill के पोर्टल पर अलग से रजिस्टर करना है। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर अपना GSTIN डालने पर, उनके द्वारा GST के अन्तर्गत दिये गये मोबाइल नं0 एवं ई–मेल पर OTP प्राप्त होगा। इस OTP को भरकर निबंधित व्यक्ति अपना UserID एवं Password बना सकेगा।
- **जी.एस.टी. के अन्तर्गत अनिबंधित व्यक्तियों अथवा परिवहनकर्त्ता** द्वारा भी ई–वे बिल बनाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें E-Waybill के पोर्टल पर अलग से Enroll करना होगा। इसके लिए उन्हें PAN No, आधार एवं आधार के Database में अंकित Mobile की आवश्यकता होगी। उस मोबाइल में प्राप्त OTP को भरकर अपना User ID एवं Password बनाया जा सकेगा।
- **निबंधित व्यक्ति** (करदाता) द्वारा ट्रांसपोर्टर को भी EWB-01 के भाग–A भरने हेतु प्राधिकृत किया जा सकेगा।
- **Consignor** द्वारा कुरियर तथा ई–कॉमर्स ऑपरेटर को EWB-01 के भाग–A भरने हेतु प्राधिकृत किया जा सकेगा।
- **Job-work** के लिए राज्य के बाहर भेजे जाने वाले किसी भी मूल्य के माल के परिवहन हेतु E-Waybill **अनिवार्य** है। **Principal** या **Registered Job-worker** दोनों में से कोई भी ई–वे बिल बना सकेगा।
- GST में निबंधन/माइग्रेशन के समय दिये गए मोबाइल/ई–मेल में परिवर्तन की स्थिति में GST पोर्टल पर मोबाइल/ई–मेल को अपडेट करने के बाद ही E-WayBillPortal पोर्टल पर रजिस्टर किया जा सकेगा।
- **EWB-01** फार्म के **Part-A** भरे जाने के बाद System द्वारा एक Unique Number Generate किया जायेगा एवं इस Unique Number के Generate होने के 15 दिनों के अन्दर ही Part-B भरा जा सकेगा। **15 दिनों के अन्दर** यदि **Part-B** नहीं भरा गया तो Part-A System द्वारा हटा दिया जायेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर इसे पुनः भरा जाना होगा।
- यदि Supplier या Recipient द्वारा माल का परिवहन अपने वाहन अथवा उनके द्वारा किराये पर लिये गये वाहन द्वारा किया जाना है तो Part-B में भी सूचना उन्ही के द्वारा भरा जायेगा।

- यदि सड़क मार्ग से परिवहन के लिये माल किसी परिवहनकर्त्ता को सौपा जाता है तो वैसी स्थिति में Supplier/Recipient द्वारा System में उस परिवहनकर्त्ता का **TransporterID** भरा जायेगा तत्पश्चात् Part-B की सूचनायें ऐसे परिवहनकर्त्ता द्वारा भरा जायेगा।

**प्राप्तकर्त्ता द्वारा ई–वे बिल स्वीकार/अस्वीकार करने के संबंध में**

- ई–वे बिल बनाने के **72 घंटे** या **माल प्राप्ति**जो पहले हो, के अंदर प्राप्तकर्त्ता के द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। Recipient द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में इसे स्वीकृत माना जाएगा।

**ई–वे बिल बनाने के क्रम में सर्वप्रथम Part-A में माल का ब्यौरा अंकित करना है। इसमें मात्र आठ सूचनाएँ ही भरा जाना अनिवार्य (Mandatory) है :–**

1. Recipient अथवा Supplier का GSTIN {अनिबंधित होने की स्थिति में URP (Unregistered Person) लिखना है}
2. Place of delivery का PINCODE
3. Invoice संख्या (Invoice के स्थान पर चालान, बिल, बिल ऑफ इन्ट्री, क्रेडिट नोट, अन्य कोई कागजात के साथ परिवहन की स्थिति में, उनकी संख्या)
4. Invoice की तिथि
5. माल का मूल्य
6. माल का HSN कोड (एक इनवाइस में एक से अधिक मालों के होने पर उन्हें Add करते हुए सूचनाएँ भरी जायेंगी)।
7. परिवहन का प्रयोजन एवं विवरण यथा–Supply, Export आदि।
8. ट्रांसपोर्ट डाक्यूमेंट संख्या {इसमें गुड्स रिसीट नं0 (GRN), रेलवे रिसीट नं0 (RR Number) या एयर वे बिल नं0 या बिल ऑफ लेडिंग नं0 भरा जाना है।}

- ई–वे बिल बनाने के क्रम में Part-A भरने के उपरान्त Part-B भरा जाना है। इसमें By-Road परिवहन के क्रम में दूरी तथा वाहन संख्या भरा जाना है। रेलवे, एयर अथवा शीप से परिवहन के क्रम में केवल दूरी एवं ट्रांसपोर्ट डाक्यूमेंट संख्या भरा जायेगा। इस स्थिति में परिवहनकर्त्ता का ID नहीं भरा जाना है।

**ई–वे बिल में वाहन संख्या अपडेट करना**

- मालों के परिवहन के क्रम में वाहन में परिवर्तन की स्थिति में Part-B में वाहन संख्या को अपडेट किया जा सकता है। इसे **एक से अधिक** बार किया जा सकता है।

- Supplier से परिवहनकर्त्ता के स्थल तक, **राज्यान्तर्गत 50 किमी** से कम दूरी के परिवहन के क्रम में Part-B में वाहन संख्या भरना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार परिवहनकर्त्ता से Recipient के स्थल तक **राज्यान्तर्गत 50 किमी** से कम दूरी हेतु वाहन संख्या अपडेट करना आवश्यक नहीं है।

- कोई **निबंधित Supplier** ई–वे बिल के Part-A में भरी गई सूचनाओं का उपयोग GSTR-1 को भरने हेतु भी कर सकता है। इसके लिए सिर्फ एक अतिरिक्त सूचना Tax Rate को अंकित करना होगा।

- ई–वे बिल बनने के बाद एक यूनिक EBN(E-Way Bill No.) Supplier, Recipient तथा Transporter को Communicate होगा।

## ई–वे बिल की वैधता अवधि

- **समान्य Consignment** के लिए 100 किमी की दूरी तक के लिए बनाये गए ई–वे बिल की Validity एक दिन की होगी। इसके बाद के प्रत्येक 100 किमी अथवा इसके किसी भाग के लिए Validity एक अतिरिक्त दिन की होगी।

  **E-Waybill की वैधता की अवधि निम्नवत् हैः–**

| दूरी | वैधता की अवधि |
|---|---|
| 100 Km **तक** | 1 **दिन** (ODC **वाहनों को छोड़कर**)<br>(ODC- Over Dimensional Cargo) |
| प्रत्येक 100 Km या उसके भाग के लिए | 1 अतिरिक्त दिन (ODC वाहनों को छोड़कर) |
| 20 Km तक | 1 दिन (ODC वाहन के लिए) |
| प्रत्येक 20 Km या उसके भाग के लिए | 1 अतिरिक्त दिन (ODC वाहन के लिए) |

  - **दिन की परिभाषाः**– दिन की गणना ई–वे बिल के सृजन की तारीख के ठीक बाद वाले दिन की मध्य रात्रि तक की अवधि के रूप में की जाएगी।
  - **ODC (Over Dimensional Cargo) वाहन**– वैसे वाहन जिनका Dimensions मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन बनाए गए केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 93 में विहित Dimensions से अधिक हो उन्हें ODC वाहन समझा जाएगा।

- विशेष परिस्थिति (Under circumstances of an exceptional nature) **जिसमें Trans-shipment भी शामिल है,** के कारण जहाँ माल का परिवहन ई–वे बिल के वैधता की अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है, यदि आवश्यक हो तो वैसी स्थिति में परिवहनकर्त्ता EWB-01 के भाग-B के ब्यौरा को Update करने के पश्चात् ई–वे बिल की वैधता अवधि को बढा सकेगा।

- **Consolidated ई–वे बिल** की अपनी कोई Validity नहीं होगी। इसके अन्तर्गत शामिल प्रत्येक ई–वे बिल की अपनी–अपनी Validity होगी।

- **SMS** से ई–वे बिल बनाने के लिए एक विशेष क्रम एवं कोड में परिवहन से संबंधित सूचनाओं को टाइप कर NIC द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाइल नं0 (साईट पर उपलब्ध) पर SMS के माध्यम से भेजना होगा। SMS के माध्यम से वाहन संख्या को अपडेट अथवा ई–वे बिल को Cancel किया जा सकता है।

- कोई व्यक्ति e-Waybill Common Portalपर उपलब्ध **Bulkgeneratingtool** की सहायता से एक से अधिक Invoice के लिए, इस tool को Download कर, इसके Excelformat में सूचनाओं को Offline भरकर, एक बार में कई ई–वे बिल बना सकता है।

- अगर किसी एक **Invoice/Bill of supply/Bill of Entry** आदि से संबंधित माल विभिन्न वाहनों से परिवहित किया जा रहा हो तो उस स्थिति में Invoice/Bill of supply/Bill of Entry आदि से संबंधित चालान, प्रत्येक वाहन के लिए निर्गत किया जाएगा तथा प्रत्येक चालान के लिए ई–वे बिल निर्गत किया जायेगा तथा प्रत्येक वाहन में चालान के साथ Invoice की प्रति एवं अन्तिम किस्त के साथ Invoice की **मूल प्रति** देना अनिवार्य होगा।

## ई–वे बिल की जाँच

- **अधिकृत पदाधिकारी** द्वारा मालों के परिवहन के क्रम में e-waybill की जाँच की जा सकती है।
- अधिकृत पदाधिकारी को प्रत्येक जाँच से संबंधित Summary Report 24 घंटे तथा Final Report तीन दिन के अन्दर पोर्टल पर अपलोड करना है।
- **30 मिनट** से अधिक की अवधि हेतु वाहनों को रोके जाने की स्थिति में परिवहनकर्त्ता e-Waybill Common Portal पर उपलब्ध **EWB-04** में इससे संबंधित सूचना Upload कर सकता है।
- मालों के परिवहन के क्रम में **Invoice/Bill of Supply/Challan** के साथ ई–वे बिल सं0 (EBN) का होना **अनिवार्य** है। ई–वे बिल **Electronic Format** में भी रखा जा सकता है। EBN में Updated वाहन संख्या होना चाहिए।

## ई–वे बिल से संबंधित अन्य पहलू :–

इस पोर्टल पर निम्नांकित सूचनाएँ/विवरण उपलब्ध कराये गये हैं ताकि E-Way Bill न्यूनतम समय यथा 30 सेकेण्ड में निर्गत किया जा सके।

- व्यवसायी **"CreateMaster"** विकल्प का प्रयोग कर अपने Clients, Suppliers, Products तथा Transporter से संबंधित जानकारी save कर सकते है, जिसका उपयोग ई–वे बिल बनाते समय किया जा सकता है।
- **Manageuser** विकल्प का प्रयोग कर कोई भी निबंधित व्यवसायी, अपने अन्य शाखाओं में ई–वे बिल निर्गत करने हेतु SubUsers अर्थात् अपने किसी employees को अधिकृत कर सकता है। इसके लिए SubUser का अलग User ID एवं Password होगा। इस विकल्प के अन्तर्गत Sub User को कोई Particular Role- Generate, cancel आदि, assign कर सकता है। साथ ही SubUser को freeze भी किया जा सकता है।
- e-Waybill के पोर्टल पर व्यवसायी के Dashboard में व्यवसायी से संबंधित ई–वे बिल का ब्यौरा उपलब्ध होगा।
- SearchTaxpayer का Option भी उपलब्ध है।
- GSTसे संबंधित अद्यतन नियम एवं कानून की जानकारी।
- 'Bulk generation tool' को download करने का विकल्प।

## निम्नांकित परिस्थितियों में E-Way Bill बनाना आवश्यक नहीं है–

1. नियम 138 के साथ **संलग्न अनुसूची** में अंकित वस्तुओं के परिवहन के क्रम में।

2. GST अधिनियम के तहत **अधिसूचित कर मुक्त वस्तुयें** (Taxfree Goods) के परिवहन के क्रम में। De-oiled Cake के परिवहन के लिए E-Way Bill की आवश्यकता है।
3. **Non-Motorised** वाहनों से परिवहन के क्रम में।
4. किसी पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एवं लैंड कस्टम स्टेशन से कस्टम क्लीयरेंस हेतु Container अथवा Containerfreightstation तक परिवहन के क्रम में
5. राज्य के वाणिज्य–कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित मामले में e-Waybill की आवश्यकता नहीं होगी।
6. जहाँ **Transit कार्गो** के रूप में नेपाल या भूटान को (या से) माल का परिवहन किया जा रहा है (अर्थात माल के परिवहन हेतु केवल भारत की भूमि का उपयोग किया जा रहा हो)।
7. जहाँ माल का परिवहन **रक्षा मंत्रालय** के द्वारा आपूर्तिकर्त्ता या प्राप्तकर्त्ता के रूप में किया जाए।
8. रेल द्वारा मालों के परिवहन हेतु जहाँ Consignor केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार हो।
9. जहाँ **खाली कार्गो** का परिवहन हो रहा है।
10. जहाँ डिलीवरी चालान युक्त माल का परिवहन किसी Consignor के स्थल से **Weigh-bridge** (धर्मकॉटा) या धर्मकॉटा से Consignor के स्थल तक **20 किलोमीटर** से कम की दूरी तक किया जा रहा हो।

# e-Waybill बनाने का Flow Chart

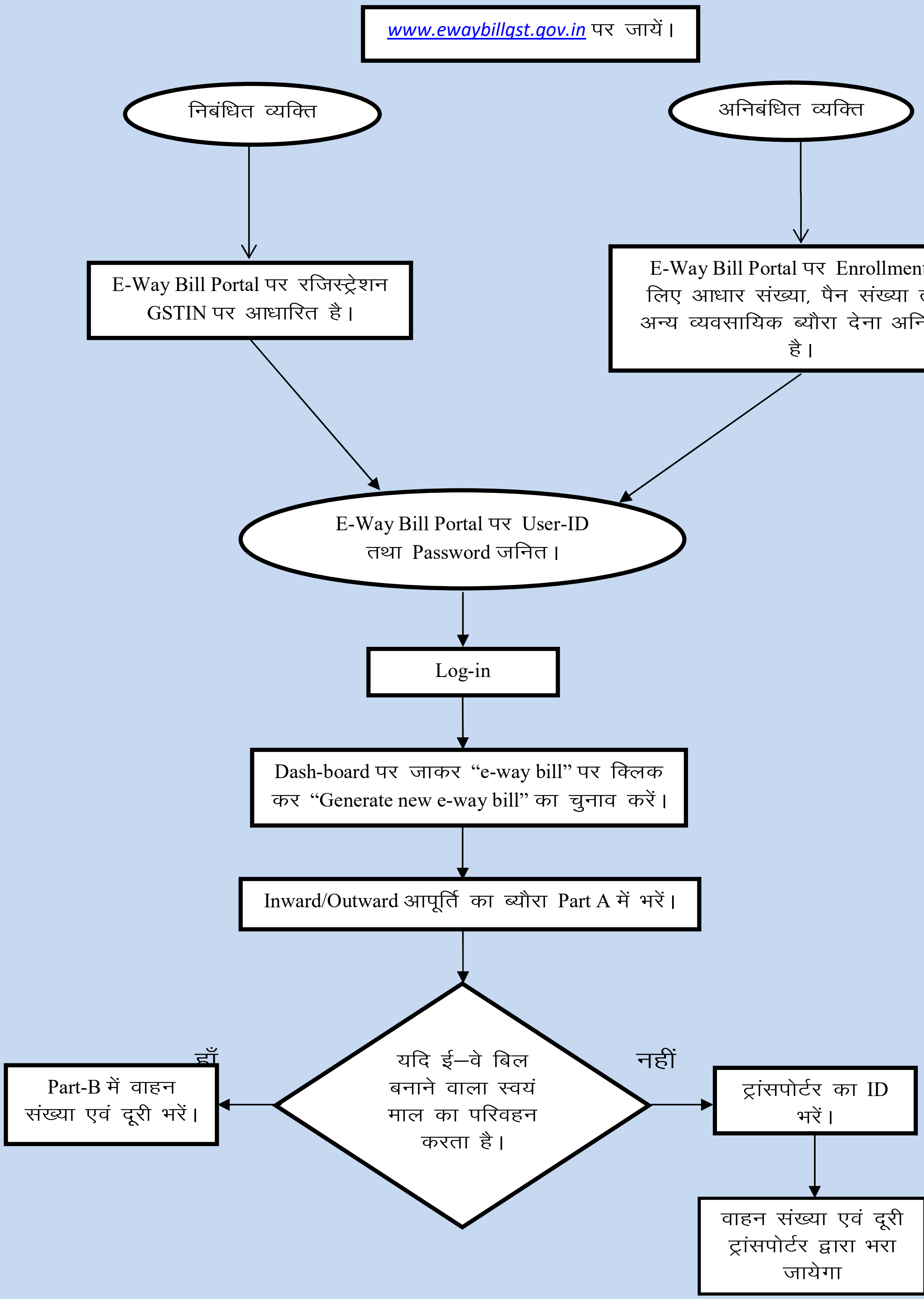

# Web Portal पर ई–वे बिल बनाने की प्रक्रिया

E-Waybill Portal पर निबंधन एवं पंजीयन

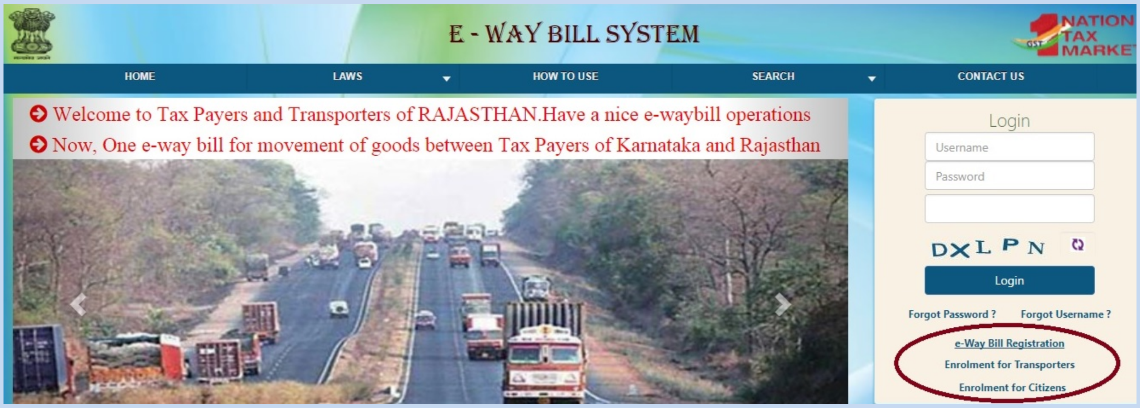


1. www.ewaybillgst.gov.in पर जायें।
2. कर दाता/परिवहनकर्त्ता के रूप में प्रथम बार निबंधन लेने हेतु "e-way bill registration" लिंक पर Click करें।
3. 'GSTIN' भरें तथा 'Go' बटन पर Click करें।

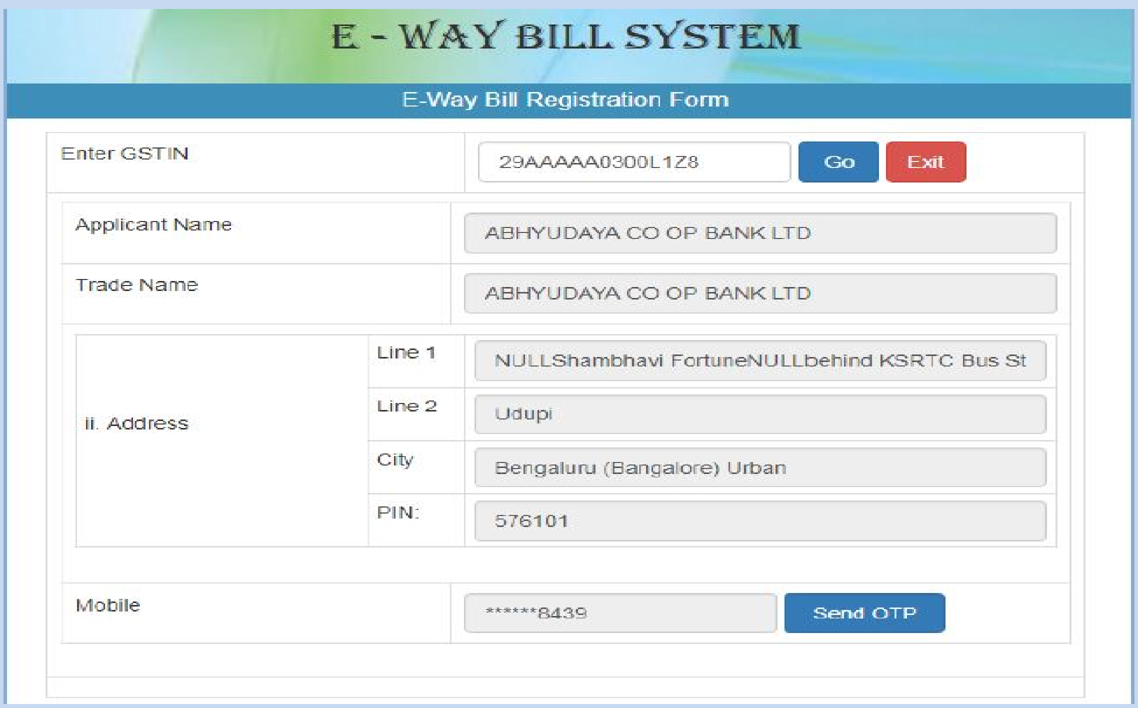


4. 'Send OTP' को Click करें। (OTP GST Portal पर निबंधित मोबाइल संख्या/ई–मेल पर जाएगा।)
5. 'OTP' सत्यापित करें तथा User ID एवं Password बनायें।

अनिबंधित परिवहनकर्त्ता e-way bill system पर नामांकन हेतु सर्वप्रथम 'Enrollment for Transporter's option' Click करें।

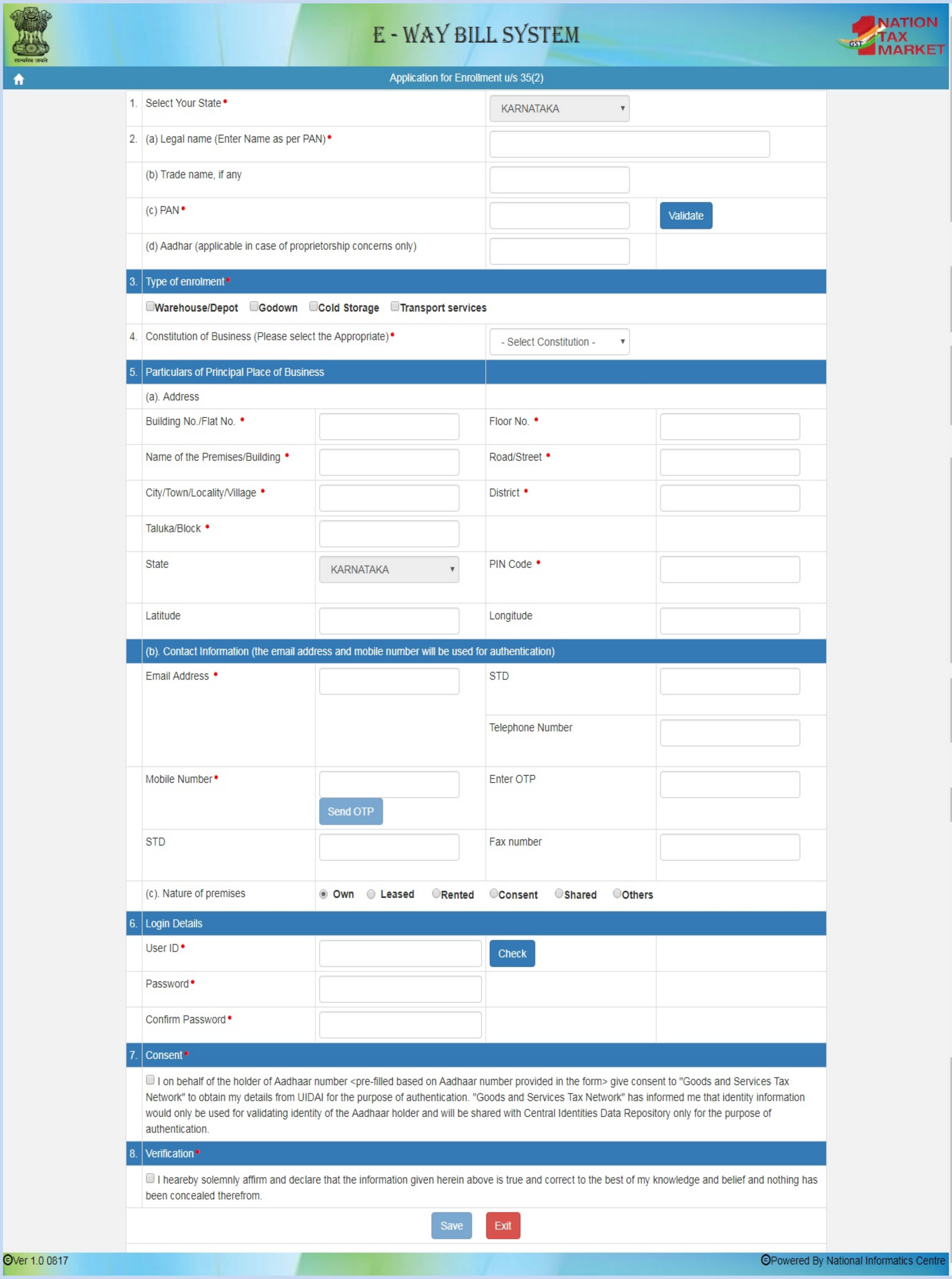

E - WAY BILL SYSTEM

NATION TAX MARKET

Application for Enrollment u/s 35(2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Select Your State* | KARNATAKA | | |
| 2. | (a) Legal name (Enter Name as per PAN)* | | | |
| | (b) Trade name, if any | | | |
| | (c) PAN* | | Validate | |
| | (d) Aadhar (applicable in case of proprietorship concerns only) | | | |
| 3. | Type of enrolment* | | | |
| | Warehouse/Depot Godown Cold Storage Transport services | | | |
| 4. | Constitution of Business (Please select the Appropriate)* | - Select Constitution - | | |
| 5. | Particulars of Principal Place of Business | | | |
| | (a). Address | | | |
| | Building No./Flat No. * | | Floor No. * | |
| | Name of the Premises/Building * | | Road/Street * | |
| | City/Town/Locality/Village * | | District * | |
| | Taluka/Block * | | | |
| | State | KARNATAKA | PIN Code * | |
| | Latitude | | Longitude | |
| | (b). Contact Information (the email address and mobile number will be used for authentication) | | | |
| | Email Address * | | STD | |
| | | | Telephone Number | |
| | Mobile Number* | Send OTP | Enter OTP | |
| | STD | | Fax number | |
| | (c). Nature of premises | Own Leased Rented Consent Shared Others | | |
| 6. | Login Details | | | |
| | User ID* | Check | | |
| | Password* | | | |
| | Confirm Password* | | | |
| 7. | Consent* | | | |
| | I on behalf of the holder of Aadhaar number <pre-filled based on Aadhaar number provided in the form> give consent to "Goods and Services Tax Network" to obtain my details from UIDAI for the purpose of authentication. "Goods and Services Tax Network" has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhaar holder and will be shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication. | | | |
| 8. | Verification* | | | |
| | I heareby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. | | | |

Save Exit

©Ver 1.0 0817 ©Powered By National Informatics Centre

6. राज्य का नाम एवं पैन कार्ड पर अंकित, legal Name को भरकर Validation बटन पर Click करें। Validation के उपरान्त अन्य व्यवसायिक ब्यौरा भरें एवं Submit करें। इस प्रकार User ID और Password तैयार हो जायेगा। अनिबंधित व्यक्ति "Enrollment for citizens" Option द्वारा केवल आधार संख्या के माध्यम से User ID/Password प्राप्त कर सकते हैं।

# Loginकी प्रक्रिया

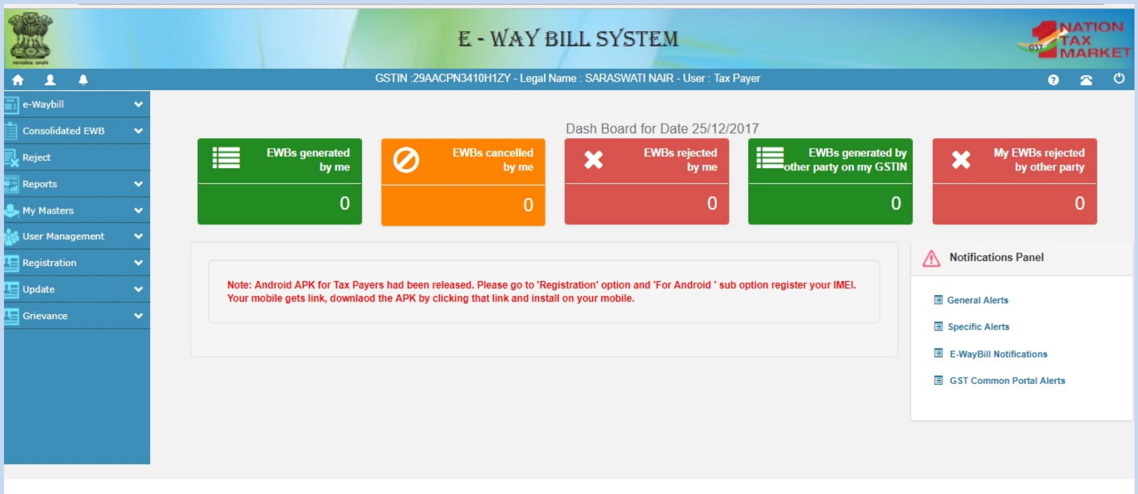


Step 1- 'e-way bill system' पर जाकर login करें।

Step 2- 'Main Menu' में जायें। वहाँ बायें side में निम्नलिखित विकल्प दिखेगा–

E-Way Bill, Consolidated EWB, Reject, Report, Masters, User Management, Registration, Update, Grievance

पुन: E-Way Bill पर Click करें।

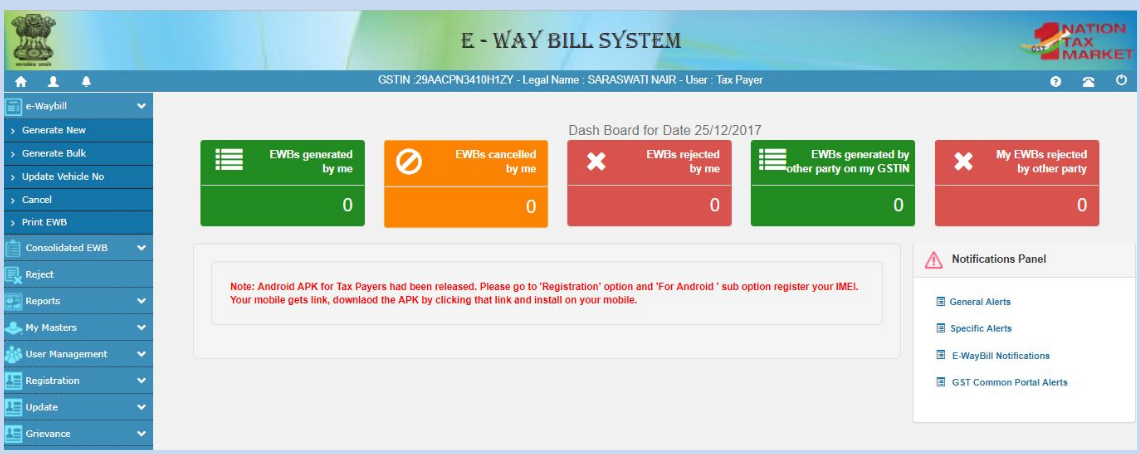


Step 3 - यहाँ पर निम्नलिखित विकल्प दिखेगा–

Generate New, Generate Bulk,Update Vehicle no, Cancel तथा Print.

Step 4- 'Generate new' विकल्प का चुनाव करें।

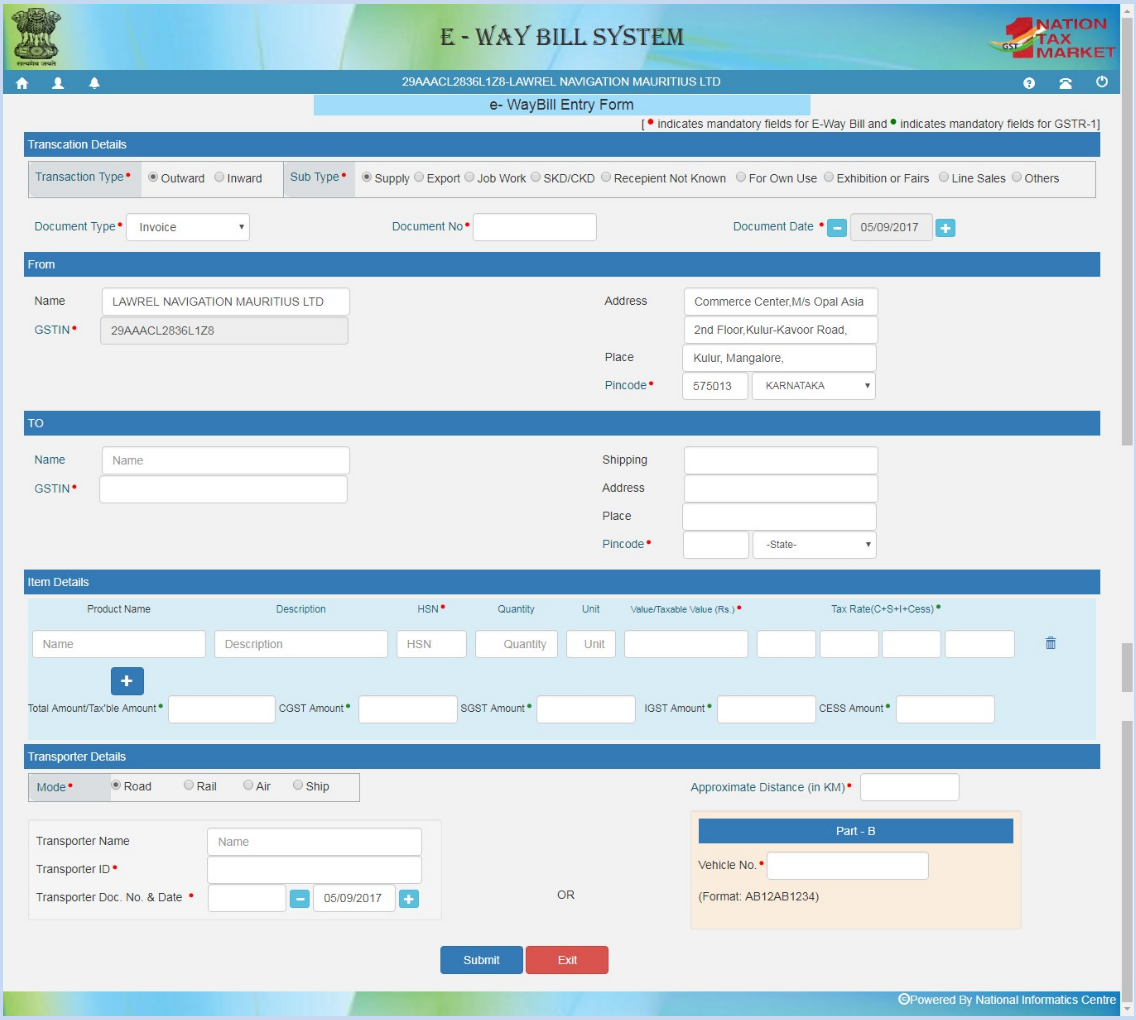


उपर्युक्त स्क्रीन में निम्नांकित सूचनाएं भरनी होगी–

I. Transaction का प्रकार–Outwardor Inward

II. Subtype- Supply, Export, Job Work, SKD/CKD, Recipient not known, For own use, Exhibition or fairs, Line sales, Others.

III. दस्तावेज के प्रकार –बीजक/विपत्र/चालान/क्रेडिट नोट/डेबिट नोट आदि दस्तावेज संख्या तथा निर्गत तिथि के साथ भरें।

IV. Transaction Type में यदि outwardका चुनाव होता है तो 'From Section' में Supplier का detail स्वतः आ जाता है। इसमें address edit किया जा सकता है तथा प्राप्तकर्त्ता का पूरा विवरण भरें।

V. Transaction Type में यदि Inward का चुनाव होता है तो 'To section' (प्राप्तकर्त्ता का विवरण) स्वतः आ जाता है। इसमें address edit किया जा सकता है तथा supplier का पूरा विवरण भरें।

VI. प्रयोगकर्त्ता के द्वारा Product का नाम, विवरणी, HSN कोड, मात्रा, करमूल्य, कर दर आदि भरना होगा।

VII. Transport का mode भरना होगा, यथा सड़क से, रेल से, हवाई जहाज से या ship से तथा प्रेषण स्थल से गंतव्य स्थल की बीच की दूरी भी भरनी होगी।

VIII. यदि माल का परिवहन ई–वे बिल बनाने वाले के द्वारा स्वयं किया जा रहा है तो वह वाहन संख्या भरने के बाद फार्म को submit करेंगे।

IX. यदि ई–वे बिल बनाने वाला माल का परिवहन सड़क मार्ग से किसी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से कर रहा है तो उसे Transporter ID भरना होगा तथा वाहन संख्या एवं दूरी ट्रांसपोर्टर द्वारा भरा जायेगा। रेल, हवाई जहाज या ship से परिवहन की स्थिति में Transport document no. तथा date भरने के उपरान्त submit करने पर ई–वे बिल निर्गत हो जायेगा।

X. परिवहन के क्रम में वाहन के परिवर्तन की स्थिति में “E-Way Bill” Option के अंतर्गत “Update” Option का चुनाव कर वाहन संख्या अपडेट किया जा सकेगा।

XI. “E-Way Bill” Option के अंतर्गत “Cancel” Option का चुनाव कर E-Way Bill रद्द किया जा सकेगा।

## SMS के द्वारा ई–वे बिल बनाने का प्रारूप

- **SMS द्वारा ई–वे बिल बनाने हेतु निम्नांकित शब्द संक्षेपों (Abbreviation) से संबंधित विवरण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, :–**

  EWBG/TranType/RecGSTIN/DelPinCode/InvNo/InvDate/TotalValue/HSNCode/ApprDist/Vehicle

❖ उपर्युक्त मापदण्डों के बीच Space देना अनिवार्य है।

❖ उपर्युक्त मापदण्डों के शब्द संक्षेपों का विस्तृत विवरण निम्नवत है, :–

| | |
|---|---|
| EWBG | -E-WayBill Generate Key Word-It is fixed for generation |
| TranType | - Transaction Type-Refer to the Code list |
| RecGSTIN | - Recipient’s GSTIN. If it not there, then URP for ‘UnRegistered Person’ |
| DelPinCode | - PIN Code of Place of Delivery of Goods |
| InvNo | - Invoice or Bill Number of the document of supplier of goods |
| InvDate | - Invoice or Bill Date of the document of supplier of goods |
| TotalValue | - Total Value of goods as per Invoice/Bill document in Rs. |
| HSNCode | - HSN Code of the first Commodity |
| ApprDist | - Approximate distance in KMs between consignor and consignee |
| Vehicle | - Vehicle Number in which the goods is being moved |

- E-Way Bill निर्गत करने के लिए SMS को निम्न प्रारूप में पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नं0 पर भेजना होगा–
  EWBG
  TranTypeRecGSTINDelPinCodeInvNoInvDateTotalValueHSNCodeApprDistVehicle
- SMS भेजने के बाद ई–वे बिल संख्या मोबाइल पर मेसेज के रूप में आ जायेगा। SMS के माध्यम से वाहन संख्या अपडेट करने के लिए निम्नांकित फॉरमेट में मैसेज भेजना पड़ेगा–EWBV EWB_NO Vehicle ReasCode

| | |
|---|---|
| EWBV | - E-Way Bill Vechicle update Keyword |
| EWB_No. | - E-Way Bill Number |
| Vechicle | - Vechicle Number which will carry the Goods |
| ReasCode | - Reason for changing the Vechicle(FST-First Vechicle, BRK-Break down, TRS-Transshipment, OTH- Others.) |

- **SMS के माध्यम से E-Way Bill रद्द करने के लिए निम्नांकित फॉरमेट में मैसेज भेजना पड़ेगा**–EWBC EWB_NO

| | |
|---|---|
| EWBC | - E-Way Bill Cancellation Keyword |
| EWB_No. | - E-Way Bill Number. |

# Important Contacts

HELPDESK

**E-mail ID**

vattcs.helpdesk@gmail.com
gstoutreachbihar@gmail.com

**Phone**

0612-2233512-16
9199273130
9472457846
Toll free-18003456102

**GST Common** — *www.gst.gov.in*

**E-waybill Common** — *https://ewaybillgst.gov.in*

**Bihar Commercial Tax** — *www.biharcommercialtax.gov.in*